संचालनालय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–सी, द्वितीय तल, नया रायपुर

क्रमांक न–1–29 / स्था. / अवि / लो.वि. / 2017 रायपुर, दिनांक / 11 / 2017

स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 1–22 / 2016 / 16 दिनांक 18.04.2017 के संदर्भ में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अन्तर्गत स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से आनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2017 से 08.01.2018 तक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं तथा परीक्षा की तिथि 28 जनवरी, 2018 (रविवार) को निर्धारित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 13–15 / 2012 / आ.प्र. / 1 / 3 दिनांक 18.07.2012 के निर्देशानुसार, की जाने वाली नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रमांक 591 / 2012, 592 / 2012, 593 / 2012, 594 / 2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्यधीन रहेंगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश / निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वे नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता तथा अन्य शर्तों के अनुसार पात्रता रखते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या					योग
				अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना	
1.	स्टाफ नर्स	5200–20200+ ग्रेड पे 2800	बैकलाग / अग्रणित	01	04	01	00	06
			वर्तमान रिक्तियां	02	06	03	07	18
			योग	03	10	04	07	24

उक्त पदों पर नियुक्ति करने के लिए चयन परीक्षा पद्धति, नियम व शर्तें, परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा हेतु आनलाइन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क का विवरण, शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा कार्यक्रम (स्थान तथा समय), आनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त करने की विधि तथा अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

संचालक
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
रायपुर

सामान्य नियम एवं शर्तें–

1. ये नियुक्तियाँ कर्मचारी राज्य बीमा योजना (तृतीय श्रेणी अविज्ञप्त) भर्ती नियम, 1978 के अन्तर्गत की जायेंगी।
2. दिनांक 01.01.2017 को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिये। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व आदेशानुसार अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., महिला, विधवा, परित्यकता आदि को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ निवासी होना आवश्यक होगा।
4. छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिये।
5. आरक्षित वर्ग के आवेदक के पास आरक्षण का लाभ लेने के लिये, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है ।
6. स्टाफ नर्स के चयनित आवेदकों को प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जायेगा।
7. आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या कम अथवा अधिक की जा सकती है। ये नियुक्तियाँ कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अन्तर्गत प्रदेश में किसी भी स्थान पर की जा सकती हैं। प्रथम नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि तक प्राप्त होने वाली रिक्तियों को अनुपूरक सूची से भरा जा सकेगा।
8. भूतपूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत हारिजान्टल आरक्षण प्राप्त होगा।
9. स्टाफ नर्स के पद हेतु निशक्तजनों को 6 प्रतिशत हारिजान्टल आरक्षण प्राप्त होगा। स्टाफ नर्स के लिए मान्य निशक्तता **OL= One Leg** होगी।
10. आरक्षण नियमों, निर्देशों तथा आरक्षण रोस्टर के संबंध में समय–सयम पर जारी निर्देश इस विज्ञप्ति पर भी लागू होंगे।
11. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता/ विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
12. छ.ग. सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार अपात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी जायेगी, जैसे जिसने न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह किया है, जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है।
13. परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर तथा चयन के पश्चात् भी आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जायेगी एवं उम्मीद्वार के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यतायें :–

क्रं.	पद का नाम	अर्हता
1	**स्टाफ नर्स**	हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण। मान्य संस्था से जनरल नर्सिंग एवं 1.5 (डेढ़) वर्षीय मिडवाइफरी कोर्स उत्तीर्ण। छ.ग. नर्सिंग काउन्सिल में पंजीयन अनिवार्य।

नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया

1. उपरोक्त पदों पर भर्ती करने के लिए परीक्षा व्यापम द्वारा संपन्न की जाएगी।
2. चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूचियां व्यापम द्वारा जारी की जाएंगी।
3. चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का परीक्षण करने के पश्चात् आवश्यकतानुसार संचालनालय द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।
5. चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा ।

संचालक
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
रायपुर